रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2002.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 3 जनवरी, 2003/13 पौष, 1924

### हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 2002

संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ (9) 2/99-III(I).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन "अन्य उद्योगों" द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) विद्यमान जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयों से इस अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख से 31-3-2012 तक; और

(ii) नई जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयों से वाणिज्यिक इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 31-3-2012 तक।

2. राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के पैरा 1 में कर की छूट सम्बन्धित जैव प्रौद्योगिकी इकाई को केवल तभी अनुज्ञेय होगी यदि :—

(i) इकाई, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन व्योहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

3318-राजपत्र/2003-3-1-2003—1,871. (2905) मूल्य : एक रुपया।

(ii) इकाई, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाए गए नियमों और जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबन्धों की अनुपालना करती है ;

(iii) इकाई, प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी के पास, तारीख 12-2-1992 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई एण्ड टी, तारीख 7-2-1992 द्वारा विहित और इसमें विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त प्रारूप और एम-II दाखिल करती है ;

(iv) इकाई वस्तुतः, रियायत/प्रोत्साहन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर प्रचालन में रहती है और व्यतिक्रम की दशा में प्राप्त समस्त रियायत सरकार को तुरन्तु वापिस की जाएगी और इसके द्वारा सृजित परिसम्पत्तियां, सरकार को समपहृत हो जाएगी ;

(v) विद्यमान और नई जैव औद्योगिक इकाई की दशा में ;

(क) यह औद्योगिक विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए ; और

(ख) इसने आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ(9)2/90 (I) तारीख 23-7-1999 में यथापरिभाषित औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट 65 प्रतिशत और 80 प्रतिशत स्थाई हिमाचली नियोजित किए हैं ; और

(vi) विद्यमान और नई औद्योगिक इकाईयों के लिए रियायत केवल तभी उपलब्ध होगी जब विनिर्मित माल उनके द्वारा स्वयं या रजिस्ट्रीकृत व्योहारियों के माध्यम से बिक्रीत किया गया है और यह सम्बन्धित इकाईयों द्वारा हिमाचल प्रदेश में पुनः बिक्री के लिए क्रय किए गए या अर्जित तैयार माल के लिए नहीं होगी।

3. राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि निम्नलिखित अधिकारियों से गठित समिति इस अधिसूचना के स्पष्टीकरण (ग) में यथा विनिर्दिष्ट जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों द्वारा विनिर्मित माल की सूची में उपान्तरण करने के लिए सशक्त है :—

| | |
|---|---|
| (i) प्रधान सचिव (उद्योग) एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार। | अध्यक्ष |
| (ii) सचिव (आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य |
| (iii) आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश । | सदस्य |
| (iv) वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार (जैव प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश | सदस्य |
| (v) निदेशक, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, हिमाचल प्रदेश | सदस्य-सचिव । |

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना में :—

(क) "विद्यमान जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई" से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन में आई इकाई अभिप्रेत है।

(ख) नई जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में आती है ; और

(ग) विद्यमान और नई जैव प्रोद्योगिकी औद्योगिक इकाईयों द्वारा विनिर्मित "माल" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) डी0 एस0 ए0 तकनीक के पुनर्मिलाप के परिणाम स्वरूप उत्पादित उत्पाद।

(2) बायोकेटालिस्ट।

(3) प्लांट ग्रोथ स्टीमुलेटस एण्ड रेगुलेटरज ।

(4) नाईट्रोजन फिक्सिंग सायल बैकटिरिया ।

(5) माईक्रोगल सायल कण्डीसनरज ।

(6) टिस्सू कल्चर रेड्ड सैम्पलिंग ।

(7) बैयोलेकुलर सामग्री ।

(8) बायोमैक्सरज ।

(9) मिथेन ग्रोर ग्रन्य हाईड्रोकार्बन्ज ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (ग्राबकारी एवं कराधान) ।

---

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(9)2/99-III (i) dated 26th December, 2002 as required under clause (3) Article of 348 of the Constitution of India].*

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla*-171 002, *the 26th December*, 2002

**No. EXN-F(9)2/99-III (i).**—In exercise of powers conferred on him under sub-section (1) of Section 42 of Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), (hereinafter called the 'said Act'), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that subject to the condition specified in this notification, no tax shall be levied under section 6 of the said Act, on the sale of goods manufactured by "other industries", namely :—

(*i*) the existing Bio-Technology Industrial Units, from the date of this notification upto 31-3-2012 ; and

(*ii*) the new Bio-Technology Industrial Units, from the date of commencement of commercial production upto 31-3-2012.

2. The Governor is further pleased to direct that the exemption from tax in para 1 of this notification shall be admissible to the concerned Bio-Technology unit only if :—

(*i*) the unit is registered as a dealer under the H. P. General Sales Tax Act, 1968 and or the Central Sales Tax Act, 1956 ;

(*ii*) The unit complies with the provisions of Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 and Central Sales Tax Act, 1956 and Rules framed and or the notifications issued thereunder ;

(*iii*) The unit files by 30th April every year, with the Assessing Authority concerned a certificate in from RM-II prescribed by H. P. Governmedt, Excise and Taxation Department Notification No. 1-12/73-E & T-III, dated 7-2-1992 published in Rajpatra in H. P. on 12-2-1992 and obtained from the authority prescribed therein ;

(*iv*) the unit actually continues operation for a period of atleast 3 years after the concession/incentives period is over and in the event of default the entire

concession aviled of shall be forthwith paid back to the Government and the assets created by it will stand forfeited to the Government ;

(*v*) In case of existing and new Bio-Technology industrial unit,—

(*a*) it should have been registered with the Industries Department ; and

(*b*) it has employed 65% and 80% bonafide Himachalies is specified for 'industrially developing areas' and 'industrially backward areas' as defind in Excise and Taxation Department notification No. EXN-F(9)2/90 (*i*), dated 23-7-1999 ; and

(*vi*) the exemption to the existing and new industrial unit will be available only when the goods manufactured are sold by them themselves or through the registered dealers and it shall not be open for finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for re-sale in Himachal Pradesh.

3. The Governor is further pleased to direct that the Committee consisting of the following officers is empowered to carry out modifications in the list of goods manufactured by the Bio-Technology industrial units as specified in Explanation (*c*) to the notification :—

| | | |
|---|---|---|
| (*i*) | Principal Secretary to Government of Himachal Pradesh, Department of Industries & IT. | .. *Chairman* |
| (*ii*) | Secretary (E & T) to the Government of Himachal Pradesh | .. *Member* |
| (*iii*) | Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh | .. *Member* |
| (*iv*) | Sr. Scientific Advisor (Bio-Technology), Himachal Pradesh | .. *Member* |
| (*v*) | Director of Industries and Information Technology, Himachal Pradesh. | .. *Member Secretary.* |

*Explanation* : In this notification:—

(*a*) 'existing Bio-Technology industrial unit' means a unit already in commercial production on the date of issue of this notification ;

(*b*) 'new Bio-Technology industrial unit' means a unit which comes into commercial production after the date of issue of this notification ; and

(*c*) 'goods manufactured by the existing and new Bio-Technology industrial units' mean :—

1. Products produced as a result of recombinant DNA Techniques.
2. Biocatalysts.
3. Plant Growth Stimulants and regulators.
4. Nitrogen fixing soil-bacteria.
5. Microalgal Soil Conditioners.
6. Tissue Culture raised saplings.
7. Biomolecular materials.
8. Biosensors.
9. Mathane and other hydrocarbons.

By order,

Sd/-

*Secretary (Excise & Taxation).*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।